



चूरु

Rashtradoot

फोन:- 256906, 256907, फैक्स:- 01562-256908

वर्ष: 14 संख्या: 322

प्रभात

चूरु, शुक्रवार 24 मार्च, 2023

पो. रजि. न. चूरु/084/2019-21

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.



जैपनीज़ स्पैरोहॉक हालांकि उसी वर्ग के हैं जिसमें इगल होते हैं, लेकिन कई ऐसी खास बातें हैं जो इन्हें एकदम अनोखा बनाती हैं। पंखों के नीचे भूंसी पड़ी हुएकी प्रमुख पहचान है। इसके अलावा जब ये उड़ते हैं तो इनकी पूँछ के पर पंखों की तरह फैल जाते हैं, जो हुएकी विशेष पहचान है। तर्फसे तो इस इंग लंबे स्पैरोहॉक के पंखों के फैलाव 48-56 सेंटीमीटर होता है तथा नर और मादा की पहचान करना अन्य पक्षी प्रजातियों की तुलना में आसान होता है। जैपनीज़ स्पैरोहॉक नर का ऊपरी भाग आमतौर पर स्टेटर ग्रे या लू़-क्रोक होता है और और और्खे सुर्ख लाल रंग की। वहीं, मादा में भूरा रंग आधिक नजर आता है तथा इनकी आंखें शहद जैसी पीली होती हैं। जैपनीज़ स्पैरोहॉक का कपी आपाक हो सकते हैं, लेकिन, ये इंसान या मृद्युम आकार के स्तरन्पायी के आसापास भी नहीं फटकते पर, अगर कोई अन्य पक्षी इनके पांसे से 10-50 मीटर के दायरे में आ जाए तो ये उसे खदें देते हैं। दूसरी इन्हें घने जंगलों में उड़ना होता है इसलिए इन्होंने कपाकी छोटे गोलाकार पंख विकसित कर लिए हैं। इसी कारण इनकी पूँछ के पंख लंबे होते हैं। इससे इन्हें ना केवल उड़ने में आसानी होती है बल्कि ये बेहद प्रभावशाली शिकायी की साथित होते हैं और हवा ही जमीन, आसानी से शिकाय को दबोच लेते हैं। आमतौर पर ये छोटी साँग बड़स का शिकाय करते हैं पर प्रजनन काल में तो तो जैसे, थोड़े बड़े पक्षियों का शिकाय भी कर लेते हैं। दूसरे चिपकली, चमगाड़ व कीड़े भी इनका प्रिय भोजन हैं। हालांकि ये कभी-कभी आसामान में भी शिकाय करते हैं पर ये अमतौर पर पंख की ऊंची शाखा पर बैठकर शिकाय के बाहर निकलकर उड़ने की प्रीरकाकरते हैं, जैसे ही शिकाय उड़ान भरता है उसे दबोच लेते हैं। इनका नाम भले ही जैपनीज़ स्पैरोहॉक है पर ये जापान के अलावा रुस, चीन, कोरिया, मंगोलिया में भी मिलते हैं और कुछ तो दक्षिण साइबेरिया में भी प्रजनन करते पाए गए हैं।

सूरत के कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनायी राहुल को, दो मानहानि के मुकदमों में

राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सत्य मेरा भगवान है तथा अहिंसा उस तक पहुंचने का रास्ता”

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। मानहानि के अत्यन्त अधिक, आज उग्रता में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के एक विभिन्न मानहानि केस में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी, जो फैसला सुनाये

जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा “मोदी सरनेम” को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी को वार्षिक दो वर्ष की सजा सुनाये जाते समय अदालत में भौजून्हा थे, ने साया सुनाये वर्षों के तुरन्त बाद द्वितीय वर्ष


 MARUTI SUZUKI

TRUE VALUE

3 गोंद - दाइम पेंसन के लाभ गाड़ी बिकती है सिफ़र TRUE VALUE पर

MARUTI SUZUKI

TRUE VALUE



आखान आए. और
ट्राउफ़र
फ्री होम
इवेल्यूएशन



अपनी कार
बेचने के लिए
उकेरा करें

पृष्ठाएँ के लिए कॉल करें यहाँ 1800 102 1800 | या जारै यहाँ www.marutisuzukitrevalue.com

*Terms and Conditions apply. Black glass shade on the vehicle is due to lighting effect. Creative visualization. Images used are for illustration purposes only. Car colour may vary due to printing on paper.

BIKANER: OPPOSITE BBS SCHOOL, JAIPUR ROAD, BIKANER, AURIC MOTORS PVT. LTD.: 8875911509, 8003098512 | JAIPUR: JHUNJHUNU BYPASS, NEAR PIPRALI CHORHA, SIKAR, JAMU AUTOMOBILES: 9694097851, 9694095757, 9887048515 | NEAR D.T.O OFFICE, JAIPUR ROAD, JHUNJHUNU, AURIC MOTORS PVT. LTD.: 7230003521, 7412059847, 7412087309.